राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण
उत्तराखण्ड शासन

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013
ई-मेल: ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2022–23 / MOM-EC / 107बी / 838 दि0 24 नवम्बर 2022

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक–19 नवम्बर 2022 को प्रातः 11.30 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की 25वीं बैठक के कार्यवृत्तः–

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
2. श्री संजीव कुमार सिंह, निदेशक वित्त, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
3. डॉ0 एस0के0 झा, प्रतिनिधि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
4. डॉ0 वी0एस0 टोलिया, निदेशक प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
5. डॉ0 वागीश चन्द्र काला, निदेशक क्लेम मैनेजमेंट, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
6. डॉ0 आर0पी0 खंडूड़ी, निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट एवं मेडिकल एण्ड क्वालिटी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. श्री अतुल जोशी, अपर निदेशक, प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
2. शब्बीर अहमद खान, अपर निदेशक, आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण। ।
3. डॉ0 हर्ष अग्रवाल, राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी।
4. श्री पंकज नेगी, सीनियर मैनेजर आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।
5. श्री पुनीत गुप्ता, सीनियर मैनेजर ऑपरेशन्स, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

प्रशासनिक प्रकोष्ठ

1. शासनादेशानुसार निदेशक, के पद पर पुनः नियुक्ति किये जाने एंव प्रति माह मानदेय CSR (Pay – Minus Pension) के अनुसार भुगतान किये जाने का प्रावधान है जिस क्रम में डॉ0 आर0पी0 खंडूड़ी की नियुक्ति निदेशक, के पद पर किये जाने हेतु आदेश संख्या रा0स्वा0प्रा0 / 2022–23 / निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट / 31 / 844 (i) दिनांक 01 अक्टूबर 2022 जारी किये गए हैं।
2. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पोर्टल का सुचारू रूप से संचालन किये जाने हेतु वेबसाइट डेवलेपमेंट, पोर्टल अपग्रेडेशन, ऐप डेवलपमेंट एवं क्लाउड पर होस्टिंग किया जाना है, जिस पर ₹50 लाख का व्यय अनुमानित है, समिति द्वारा प्रक्योरमेंट समिति को Action Plan बनाते हुए साप्ताहिक प्रगति रिर्पोट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रा0स्वा0प्रा0 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये साथ ही उक्त कार्यो को किये जाने हेतु एजेंसी का चयन टेंण्डर के माध्यम से करते हुए समस्त कार्यों को 31मार्च 2023 तक पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–निदेशक प्रशासन / अपर निदेशक आई0टी0)

3. प्रदेश में स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु प्रथम चरण में उत्तराखंड अक्षय उर्जा विकास अभिकरण

द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के पोर्टल में उपलब्ध डी0डी0ओ0 लॉग–इन के माध्यम से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना हेतु कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके पात्र आश्रितों की सूचना/जानकारी की प्रविष्टि पूर्ण होने के कम में स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं को योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष के साथ बैठक किये जाने, तत्पश्चात् शासनादेश के अनुपालन में आगामी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–निदेशक प्रशासन, अपर निदेशक आई0टी0)

4. कार्मिक/पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बीजकों/दावों को आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल पर दावों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति करने से पूर्व CGHS दरों पर परीक्षण के लिये शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर 2021 के प्रस्तर–14 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी) को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 01 जनवरी 2022 से कियान्वयन किये जाने की सहमति प्रदान की गयी एवं उक्त से संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रा0स्वा0प्रा0 के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–निदेशक प्रशासन/क्लेम मैनेजमेंट, अपर निदेशक आई0टी0)

5. राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जो प्रदेश के अन्य प्रान्तों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं का विवरण ट्रेजरी से प्राप्त कर पात्र लाभार्थियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सूचीबद्ध चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार के संबंध में समिति द्वारा शासनादेश 14 सितम्बर 2018 में दिये गये निर्देशों के आधार पर, One time contribution की व्यवस्था अथवा प्रतिपूर्ति मोड में सुविधा प्रदान किये जाने एवं शासन को उक्त व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–निदेशक मैनेजमेंट, निदेशक वित्त, अपर निदेशक आई0टी0)

6. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं के संबंध में दिनांक 17.11.2022 को अपर सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक बैठक आहुत की गयी थी। बैठक के द्वारा जारी किये जाने वाले कार्यवृत्त में लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही की जानी है। जिस पर समिति द्वारा उक्त से संबंधित आवश्यक कार्यवाही किये हेतु सीनियर मैनेजर ऑपरेशन्स–एस0जी0एच0एस0 को निर्देश दिये गये।
SGHS (Golden Card) बनाये के अभियान का Action Plan तैयार किये जाने से संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतु सीनियर मैनेजर–आई0टी0 को निर्देश दिये गये हैं, साथ ही कार्ड बनाये जाने से संबंधित जागरूक किये जाने हेतु प्रचार–प्रसार किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–निदेशक प्रशासन, अपर निदेशक आई0टी0)

7. गोल्डन कार्ड धारक कर्मचारियों एवं पेंशनरों को आयुष चिकित्सा पद्धति से किये गये उपचार के व्यय को CGHS में दिये गये दिशा–निर्देशें एवं दरों पर प्रतिपूर्ति किये जाने के संबंध में निदेशक, आयुष को पत्र प्रेषित करते हुए, आयुष शासनादेश के आधार पर 01 सप्ताह के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये किसी कारणवश कार्यवाही पूर्ण न होने के दृष्टिगत समय को विस्तारित किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रा0स्वा0प्रा0 से पत्रावली पर अनुमोदन लिया जाय।

(कार्यवाही–निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

8. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्तमान में स्थित कार्यालय का भवन स्वामी से अनुबंध सितम्बर 2023 में समाप्त हो रहा है, प्राधिकरण हेतु भवन लिये जाने की प्रक्रिया जनवरी 2023 से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–निदेशक प्रशासन)

9. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत आई0ई0सी0 प्रकोष्ठ में सोशल मीडिया हब के कार्य की आवश्यकतानुसार 03 कन्सल्टेंट्स की सेवाएं ली जा रही थी, दिनांक 01 अक्टूबर 2022 को आहुत कार्यकारिणी बैठक के जारी

कार्यवृत्त बिन्दु संख्या 02 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अन्य विकल्प पर विचार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किया जाना था, प्राधिकरण द्वारा 03 कन्सलटेंट की सेवाओं को दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक विस्तारित की गयी है। जिस पर समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–निदेशक प्रशासन)

वित्त प्रकोष्ठ

10. कार्ड बनाने के अभियान के तहत माह जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक पूर्व क्रियान्वयन सहायता एजेंसी/आई0एस0ए0 (एफ0एच0पी0एल) द्वारा अनुबन्ध से अतिरिक्त मानव संसाधन लगाये गये, जिसका प्रस्तुत बीजक के अनुसार विवरण निम्नवत् है:-

Month	Cards Issued	Average Card Approved by 1 Approver per day	Card approved by 1 approver per month	Total Manpower required	Manpower deployed as per Contract	Additional Manpower Deployed	Salary per month	Total Salary
Jan-19	1269744	300	9300	137	4	133	10,000	13,30,000
Feb-19	1038198	300	8400	124	4	120	10,000	12,00,000
Mar-19	560585	300	9300	60	4	56	10,000	5,60,000
Total	**2868527**					**309**		**30,90,000**

आई0एस0ए0 (एफ0एच0पी0एल) द्वारा नियोजित अतिरिक्त मानव संसाधन के सापेक्ष अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित पारिश्रामिक हेतु मानव संसाधन के कार्यानुसार/पदानुसार बीजक प्रस्तुत किया गया है। अनुबन्ध के अतिरिक्त मानव संसाधन लगाने के फलस्वरूप धनराशि रू 36,34,400/- जी0एस0टी0 सहित बीजक प्रस्तुत किया गया है साथ ही कार्यकारिणी समिति की 23वीं बैठक, दिनांक 27 जुलाई 2022 के बिन्दु संख्या-18 के क्रम में समिति द्वारा संज्ञान लिया गया एवं निर्देश दिये गये कि ऑडिट की औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जाए। दिनांक 22.06.2022 को आहुत बैठक के उपरान्त महालेखाकार एवं सचिव स्वास्थ्य के द्वारा जारी कार्यवृत्त को प्राप्त कर लिया गया है। अतः समिति द्वारा भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–निदेशक वित्त)

11. अवशेष संचित धनराशि में से न्यूनतम 01 वर्ष, अधिकतम 02 वर्ष हेतु सावधि जमा ;FDद्ध किये जाने हेतु Scheduled Commercial Banks:-

Public Sector Bank

1. State Bank Of India
2. Punjab National Bank
3. Bank of Baroda
4. Central Bank of India

Private Sector Bank

1. ICICI Bank
2. HDFC Bank
3. INDUSIND BANK
4. Axis Bank

उपरोक्त Scheduled Commercial Banks में Public Sector Bank एवं Private Sector Banks से प्राप्त होने वाले सावधि जमा ;FDद्ध की ब्याज दरों के तुलनात्मक अध्ययन उपरान्त अधिक ब्याज दर वाले Scheduled Commercial Bank में सावधि जमा ;FDद्ध किये के संबंध में समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–निदेशक वित्त)

हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रकोष्ठ

12. (i) अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध ओ0जी0एम0सी0 हॉस्पिटल, लाडपुर, रायपुर रोड, जनपद देहरादून द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नियमानुसार चिकित्सा उपचार प्रदान न करने के दृष्टिगत सूचीबद्धता समाप्त करने हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध के section 16(2) के क्रम में निर्गत आदेश सं0 रा0स्वा0प्रा0/हॉस्पिटल मैनेजमेंट/HOSP5P122935 / 704 दिनांक 01 नवम्बर 2022 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(ii) अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध जी0डी0 आई हॉस्पिटल, बेरिया रोड, निकट प्रकाश पेपर मिल, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नियमानुसार चिकित्सा उपचार प्रदान न करने के दृष्टिगत सूचीबद्धता समाप्त करने हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध के section 11`(2) के क्रम में निर्गत आदेश सं0 रा0स्वा0प्रा0/हॉस्पिटल मैनेजमेंट/HOSP5P74722 / 703 दिनांक 01 नवम्बर 2022 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iii) अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अमृतसर आई क्लीनिक, 122/1, ई0सी0 रोड, देहरादून द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नियमानुसार चिकित्सा उपचार प्रदान न करने के दृष्टिगत सूचीबद्धता समाप्त करने हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध के section 11(2) के क्रम में निर्गत आदेश सं0 रा0स्वा0प्रा0/हॉस्पिटल मैनेजमेंट/HOSP5P02040 / 705 दिनांक 01 नवम्बर 2022 पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

13. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निम्न चिकित्सालयों के NABH Certificate की वैद्यता समाप्त होने के दृष्टिगत संबंधित चिकित्सालयों को Referral Exempted श्रेणी से बाहर किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या (क)	चिकित्सालय का नाम (ख)	NABH Certificate वैद्यता अवधि की समाप्ति तिथि (ग)
1	कालिन्दी हॉस्पिटल, देहरादून	02 नवंबर 2021
2	लाइफलाइन सुपर स्पेशियलिटी एण्ड के0जी0एन0 सेन्टर, हरिद्वार	20 दिसम्बर, 2020
3	साईं हॉस्पिटल, नैनीताल	10 अगस्त 2022
4	प्रेमसुख हॉस्पिटल, देहरादून	18 अगस्त 2021
5	एस0 के0 मेमोरियल हॉस्पिटल, देहरादून	15 सितंबर 2022

लाभार्थियों द्वारा पूर्व में बिना Referral के तालिका में वर्णित चिकित्सालयों में नियमानुसार चिकित्सा उपचार प्राप्त होने के दृष्टिगत एवं वर्तमान में चिकित्सालयों को Referral exempted श्रेणी से बाहर करने के कारण लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत निर्विघ्न चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में मुश्किलों के दृष्टिगत उक्त तालिका में वर्णित चिकित्सालयों को पत्र प्रेषित करते हुए Undertaking लिये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। जिसमें निम्न बिन्दु वर्णित हैं:-

1. चिकित्सालय द्वारा पत्र की तिथि से (दिनांक 14 नवम्बर 2022) अधिकतम 06 माह के भीतर अद्यतन NABH Certificate उपलब्ध कराया जायेगा।
2. निर्धारित समयावधि में अद्यतन NABH Certificate उपलब्ध न करवाने की स्थिति में चिकित्सालय को Referral Exempted श्रेणी से बाहर कर दिया जाये।
3. यह undertaking केवल Referral Exemption हेतु मान्य है जिससे लाभार्थियों को संबंधित चिकित्सालय में पूर्व की भाँति बिना Referral के निर्विघ्न चिकित्सा उपचार प्राप्त हो सके।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी गाईडलाइन्स एवं शासनादेश संख्या 213/XXVIII-3-2020-04/2008 T.C. दिनांक 4 मई 2020 के क्रम में NABH Certificate को HEM Portal पर अपलोड करने एवं अनुमोदन प्राप्त होने पर ही NABH Incentive प्राप्त होगा।
5. चिकित्सालय की NABH Certificate की वैद्यता अवधि समाप्त होने की तिथि से पत्र की तिथि तक (दिनांक 14 नवम्बर 2022) क्लेम धनराशि में अतिरिक्त incentive प्राप्त होने की स्थिति में चिकित्सालय की भविष्य में देय क्लेम धनराशि से कटौती नियमानुसार की जाये।
6. उक्त तालिका में से 03 चिकित्सा ईकाईयों (कालिन्दी हॉस्पिटल, देहरादून, प्रेमसुख हॉस्पिटल, देहरादून एवं एस0 के0 मेमोरियल हॉस्पिटल, देहरादून) द्वारा डायलिसिस की सुविधा भी प्रदान की जा रही है जिस हेतु Referral Exempted का प्राविधान है।

भविष्य में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के NABH certificate की वैद्यता समाप्त होने पर उपरोक्त प्रस्ताव लागू होगा।

उपरोक्त प्रस्ताव पर पत्रावली पर प्राप्त अनुमोदन उपरांत तालिका में वर्णित चिकित्सालयों को पत्र दिनांक 14 नवम्बर 2022 प्रेषित किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

14. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर स्थित Institute of Liver & Biliary Sciences, D-1, Vasant Kunj, New Delhi. एवं Indian Spinal Injuries Cente, Sector C, Vasant Kunj, New Delhi द्वारा प्रस्तावित Corpus-Fund Model पर शासनादेश संख्या 1256(1)/XXVVIII (3)21–04/2008. टी0सी0 दिनांक 25 नवम्बर 2021 में कैशलेस चिकित्सा सुविधा के अतिरिक्त अन्य विकल्प न होने के दृष्टिगत, उक्त ईकाईयां उच्च स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा ईकाइ (Specialized Tertiary Care) होने के फलस्वरूप Corpus-Fund Model पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–निदेशक हॉस्पिटल मैनेजमेंट)

क्लेम मैनेजमेंट प्रकोष्ठ

15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा प्रेषित ई–मेल दिनांक 10 नवम्बर, 2022 अनुसार ऑफिस मेमो S-12012/183/2022-NHA(Pt.I) दिनांक 1//2/2022 के अनुसार Unspecified surgical packageमें स्वीकृति के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को ₹5 लाख तक की स्वीकृति के सम्बन्ध में TMS में राज्य स्तर पर आई0डी0 बनायी जानी प्रस्तावित है। जो कि निम्नवत् है –

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ₹1 लाख तक के Unspecified surgical packageमें स्वीकृति हेतु।
(ख) ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की स्वीकृति हेतु राज्य के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण)।

S.No	Role	Description
1	MEDCO	Hospital (Already available)
2	PPD/PPD-Insurer	Preauth Panel Doctor (Already Available)
3	Medical - Committee SHA	State medical committee (New Role)
4	CEO-SHA	CEO-SHA
5	AS/ACS/SHA	Chairman-SHA

उपरोक्त वर्णित तालिका के अनुसार क्रम संख्या 01 व 02 की आई0डी0 पूर्व से संचालित है जबकि क्रम संख्या 03, 04 एंव 05 की आई0डी0 बनायी जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही– निदेशक क्लेम मैनेजमेंट, अपर निदेशक आई0टी0)

16. Unspecified Package हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित करते हुए मार्गदर्शन लिये जाने के निर्देश दिये गये, एवं ₹5 लाख से अधिक का व्यय आने पर लाभार्थियों द्वारा मेडिकल कॉलेज, एम्स ऋषिकेश अथवा पी0जी0आई0 चिकित्सालयों में उपचार उपचार कराया जाय Unspecified Package से सम्बन्धित लम्बित फाईलें पर पूर्व में गठित कमेटी की अप्रूवल हो गयी है, जिस पर कार्यकारिणी समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही– निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

17. चिकित्सालयों द्वारा आतिथि तक CT / MRI का पैकेज एक समय में ₹5000 का दिया जाता है। CT SCAN जिसकी दरें ₹5000 से कम है उन्हें भी ₹5000 के पैकेज में लिया जाता है, जिससे लाभार्थी पुनः उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस पर समिति द्वारा सी0जी0एच0एस0 दरों पर CT / MRI किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के उपरान्त पैकेज के कियान्वयन से संबंधित कार्यवाही किये जाने के निर्णय लिये गये।

(कार्यवाही–निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

18. प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना एंव अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार पुत्र श्री सुमर चंद उम्र 34 वर्ष, निवासी–बडोंवाला प्रेमनगर, देहरादून का गुर्दा प्रत्यारोपण **Swami Rama Himalayan University, Jolly Grant, Dehradun** में किये जाने हेतु अनुमानित व्यय लगभग ₹7.50 लाख है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपण (Organ & tissue transplant) को HBP 2.2 में शामिल किया गया है। इस क्रम में चिकित्सालयों को संबंधित Speciallity लिया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु **Swami Rama Himalayan University, Jolly Grant** को पत्र प्रेषित कर सूचित किये जाने के साथ–साथ एक बैठक आहुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– निदेशक क्लेम मैनेजमेंट)

19. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन उत्तराखण्डः–
   i. आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के सफल संचालन हेतु Capacity Building (क्षमता विकास कार्यक्रम) कार्यशाला कराये जाने।
   ii. ए0बी0डी0एम0 योजना के सफल संचालन हेतु योजना से सम्बन्धित सभी हितधारकों; Stake Holder संवेदीकरण हेतु तीन कार्यशाला गढ़वाल मंडल, कुमाउॅ मंडल एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला करायी जाने।
   1. राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अन्तर्गत योजना के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई गाईडलाईन के अनुसार PMU स्थापित किये जाने।
   2. वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में कार्य कर रहे निम्न कर्मचारियों द्वारा योजना को संचालित किया जा रहा हैः–
      1. शब्बीर अहमद खान (अपर निदेशक आई0टी0)
      2. सुश्री प्रज्ञा पालीवाल (मैनेजर इवैल्युशन एंड मॉनिटरिंग)
      3. श्री अमृत राज पोखरियाल (समन्वयक कार्यक्रम प्रबन्धन)
      4. श्री प्रणव शर्मा (डाटा एंट्री ऑपरेटर)
      5. सुश्री शारदा राणा (डाटा एंट्री ऑपरेटर)

      उपर्युक्त कर्मचारियों को ए0बी0डी0एम0 योजना के अन्तर्गत समायोजित किये जाने तथा ए0बी0डी0एम0 योजना के प्रारम्भिक चरण हेतु आई0टी0 कार्य से सम्बन्धित HMIS Manager तथा Information Security Officer/Expert की नियुक्तियां मानदेय अधिकतम ₹ 60,000/– तक प्रतिमाह के आधार पर किये जाने।
   3. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में कार्यरत उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारियों का मानदेय जुलाई 2022 से आहरण किये जाने।

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण गाईड लाईन के अनुसार उक्त मानव संसाधन (न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार) NICSI, NISG अथवा सूचीबद्व संस्था द्वारा किये जाने।

उक्त समस्त बिन्दुओं पर कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–निदेशक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
6. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
7. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।
8. वरिष्ठ प्रबंधक, आई0टी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. गार्ड फाईल।

(डॉ0 वी0एस0 टोलिया)
निदेशक–प्रशासन

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति